


--: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिथत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजारव अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
मदामिफ	98	रामपाल सिंघाणू जाति	37	कुल - 17.47 2020	रामपाल सिंघाणू जाति	37	कुल 17.47
		जाट शिव अम्बर	38		जाट शिव अम्बर	38	
			39			39	
			40			40	
			42			42	
			43			43	



शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डीडवाना)
(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :- 553/26-X-2)

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, भौलासर


शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डीडवाना)
(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का मदामिफ को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, भौलासर